

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 405/2023

अनवान : -

1. नीलम पुत्री शंकरलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादीया

बनाम

1. बृजलाल पुत्री अलीराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. संतलाल मृतक जरिये वारीसान
2/1. पवन पुत्र संतलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
2/2. शिव कुमार पुत्री संतलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. कमलेश पुत्री गिरधारीलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. ग्यारसी देवी पत्नी गिरधारी जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. ताराचन्द पुत्र गिरधारी जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. पवन कुमार पुत्र गिरधारी जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. मनोज पुत्र गिरधारी जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. सुरजमल पुत्र गिरधारी जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. मामराज पुत्र परसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. हिरालाल पुत्र परसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. चुकिया पुत्री गिरधारी जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. रामप्यारी पुत्री परमाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. संजय कुमार पुत्र परमाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
14. सुरस्वती देवी पुत्री गिरधारी जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

15. अरुणा पुत्री शंकरलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
16. उषा पुत्री शंकरलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
17. ज्योति पुत्री शंकरलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
18. सुनिता पुत्री शंकरलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
19. कमला पत्नी शंकरलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
20. मुकेश पुत्र शंकरलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
22. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता वादी

श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादीगण


निर्णय

दिनांक: - 06/11/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स0 341/324 की कुल 8.9790 हैक्ट भूमि वादीया व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सीव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं इसलिए हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर



अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स० 341/324 की कुल 8.9790 हैक्ट भूमि वादीया एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगान अलग अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 7, 9, 10, 12, 13 ने वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2/1 ता 2/2, 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया की मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काशत के अनुसार खाता व लगान अलग किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 6, 8, 11, 14 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 21 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।


विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी उभयपक्ष की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स० 341/324 की कुल 8.9790 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- कमला पत्नी शंकरलाल, अरुणा, उषा, ज्योति, नीलम, सुनिता, मुकेश कुमार पुत्र पुत्रीयान शंकरलाल बहिब कौमा रेगर सा० नोहर खातेदार— ख०न० 22/1 की 1.796 हैक्ट
- ग्यारसी देवी पत्नी गिरधारीलाल, कमलेश, चुकिया, सुरस्ती देवी, ताराचन्द, पवन कुमार, मनोज, सुरजमल पुत्री पुत्रीया गिरधारीलाल बहिब कौम रेगर सा० नोहर खातेदार— ख०न० 22/2 की 1.796 हैक्ट
- रामप्यारी पत्नी परसाराम हि० 11220/17950, मामराज पुत्र परसाराम हि० 2244/17950 हि०, संजय कुमार पुत्र परसाराम हि० 2243/17950, हिरालाल पुत्र परसाराम हि० 2243/17950 कौम रेगर सा० नोहर खातेदार— ख०न० 22/3 की 1.7950 हैक्ट
- बृजलाल पुत्र अलीराम हि० 1/2 जाति रेगर सा० नोहर खातेदार रहन ओबीसी शाखा नोहर, सन्तलाल पुत्र अमीलाल हि० 1/2 जाति रेगर सा० नोहर खातेदार— ख०न० 22/4 की 0.051 हैक्ट, 58 की 0.253 हैक्ट, 59 की 1.518 हैक्ट, 62 की 1.7700 हैक्ट कुल किता 4 रकबा 3.592 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 06/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 405/2023

अनवान : –

1. नीलम पुत्री शंकरलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम

1. बृजलाल पुत्री अलीराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. संतलाल मृतक जरिये वारीसान
2/1. पवन पुत्र संतलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
2/2. शिव कुमार पुत्री संतलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. कमलेश पुत्री गिरधारीलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. ग्यारसी देवी पत्नी गिरधारी जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. ताराचन्द पुत्र गिरधारी जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. पवन कुमार पुत्र गिरधारी जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. मनोज पुत्र गिरधारी जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. सुरजमल पुत्र गिरधारी जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. मामराज पुत्र परसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. हिरालाल पुत्र परसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. चुकिया पुत्री गिरधारी जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. रामप्यारी पुत्री परमाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. संजय कुमार पुत्र परमाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
14. सुरस्वती देवी पुत्री गिरधारी जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

15. अरूणा पुत्री शंकरलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
16. उषा पुत्री शंकरलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
17. ज्योति पुत्री शंकरलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
18. सुनिता पुत्री शंकरलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
19. कमला पत्नी शंकरलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
20. मुकेश पुत्र शंकरलाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
22. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 405 सन 2023 निर्णय दिनांक 06/11/2023

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स0 341/324 की कुल 8.9790 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


- कमला पत्नी शंकरलाल, अरूणा, उषा, ज्योति, नीलम, सुनिता, मुकेश कुमार पुत्र पुत्रीयान शंकरलाल बहिब कौमा रेगर सा0 नोहर खातेदार— ख0न0 22/1 की 1.796 हैक्ट
- ग्यारसी देवी पत्नी गिरधारीलाल, कमलेश, चुकिया, सुरस्ती देवी, ताराचन्द, पवन कुमार, मनोज, सुरजमल पुत्र पुत्रीया गिरधारीलाल बहिब कौम रेगर सा0 नोहर खातेदार— ख0न0 22/2 की 1.796 हैक्ट

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

- रामप्यारी पत्नी परसाराम हि0 11220/17950, मामराज पुत्र परसाराम हि0 2244/17950 हि0, संजय कुमार पुत्र परसाराम हि0 2243/17950, हिरालाल पुत्र परसाराम हि0 2243/17950 कौम रेगर सा0 नोहर खातेदार- ख0न0 22/3 की 1.7950 हैक्ट
- बृजलाल पुत्र अलीराम हि0 1/2 जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार रहन ओबीसी शाखा नोहर, सन्तलाल पुत्र अमीलाल हि0 1/2 जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार- ख0न0 22/4 की 0.051 हैक्ट, 58 की 0.253 हैक्ट, 59 की 1.518 हैक्ट, 62 की 1.7700 हैक्ट कुल किता 4 रकबा 3.592 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (पंकज गढ़वाल R.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर